<u>प्राथमिकता</u>

<u>संख्या :1562/77-6-14-एल.सी.155/2014</u>

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 20 अक्टूबर, 2014

विषय : राज्य स्तर पर उद्योग बन्धु द्वारा प्रारम्भ की गई 'समाधान-दिवस' व्यवस्था लागू कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्य के रूप में विकसित किए जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रदेश में अधिकाधिक उद्योगो की स्थापना की जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में स्थापित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं एवं तत्क्रम में औद्योगीकरण के मार्ग में आने वाली कतिपय समस्याओं का त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु प्रमुख सचिव/अधिशासी निदेशक-उद्योग बन्धु की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर 'समाधान-दिवस' आयोजित किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है।

2- **इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते हैं:-**

(1) उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित विभाग के साथ इकाई के प्रवर्तकों की उपस्थिति में समाधान दिवस आयोजित कर निर्णय लिया जाए। इस प्रकार जिन प्रकरणों पर निर्णय लिये जाने में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न हो अथवा नीति विषयक प्रकरणों को 'राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति' के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जाए।

(2) तत्क्रम में उद्योग बन्धु स्तर पर हर बृहस्पतिवार को समाधान दिवस का आयोजन किया जाए। इस समाधान दिवस में मा. मुख्यमंत्री जी कार्यालय/मुख्य सचिव/ई-मेल से सम्बन्धित सभी प्रस्तावों/संदर्भो/जिज्ञासाओं को जो शुक्रवार तक प्राप्त हो जाती है, उन सभी निवेशको/उद्योपत्तियों को आगामी सप्ताह के बृहस्पतिवार को समाधान दिवस में आमंत्रित किया जाए। औद्योगिक संगठनो/इकाईयों से प्राप्त संदर्भो के निस्तारण हेतु सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/विभागाध्यक्षो/नोडल अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाए जिससे प्रकरणों का निस्तारण उसी दिन हो सके।

(3) प्रत्येक बृहस्पतिवार को प्रातः 10:00 बजें से मध्यान्ह 12:00 बजें के मध्य उद्योग निवेश समाधान दिवस का आयोजन उद्योग बन्धु कार्यालय द्वारा पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ में निर्धारित समयानुसार आहूत किया जाए।

कृपया उपरोक्त दिशा-निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या :1562(1)/77-6-14-एल.सी.155/2014, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमो के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष।
5. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
7. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उ.प्र. शासन/एनआईसी, योजना भवन, लखनऊ।
8. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव, एवं समस्त अनुभाग।
9. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त सयुक्त आयुक्त उद्योग, उत्तर प्रदेश।
11. औद्योगिक विकास विभाग के शाखा के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल/अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

/

(संजीव सरन)
प्रमुख सचिव।